**Date – 5 July 2022**

# राष्ट्रीय जांच एजेंसी

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट की नृशंस हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी है।

## राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए):

- एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। **इसमें है:**
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- परमाणु और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ।
- हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा और सीमा पार से घुसपैठ।

- संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराध।
- इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- एजेंसी को गृह मंत्रालय से एक लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

**विकास:**

- नवंबर 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने एनआईए की स्थापना का फैसला किया।
- दिसंबर 2008 में, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया।
- एजेंसी 31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में अपना संचालन शुरू किया। अब तक एनआईए ने 447 मामले दर्ज किए हैं।

**क्षेत्राधिकार:**

- जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में और देश के बाहर भी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है।
- जहां कहीं भी व्यक्ति सरकार की सेवा में तैनात हैं।
- भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।
- ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ सूचीबद्ध अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।

**सूचीबद्ध अपराध:**

- अधिनियम के तहत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिस पर एनआईए जांच और मुकदमा चला सकती है।

**सूची में शामिल हैं:**

- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- अपहरण विरोधी अधिनियम
- नागरिक उड्डयन अधिनियम के संरक्षण के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों का दमन

- सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद का उन्मूलन) अधिनियम।
- समुद्री नौवहन के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का उन्मूलन और महाद्वीपीय शेल्फ़ अधिनियम पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम

**एनआईए जांच प्रक्रिया:**

**राज्य सरकार:**

- अधिनियम की धारा 6 के तहत, राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को संदर्भित कर सकती हैं।
- प्रदान किए गए विवरण का आकलन करने के बाद, केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है।
- राज्य सरकारों को एनआईए को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

**केन्द्रीय सरकार:**

- **भारत में:** जब केंद्र सरकार की राय है कि अधिनियम के तहत किए गए अनुसूचित अपराध की जांच आवश्यक है, तो वह एजेंसी को जांच करने का निर्देश दे सकती है।
- **भारत के बाहर:** जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि अधिनियम भारत के बाहर किसी भी स्थान पर लागू है जहां एक अनुसूचित अपराध किया गया है, तो वह एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है।

**एनआईए अधिनियम में हालिया संशोधन:**

- भारत के बाहर किए गए अपराधों सहित कुछ अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन के उद्देश्य से 2019 में एनआईए में संशोधन किया गया था।

**संशोधन के मुख्य क्षेत्र:**

**भारत के बाहर अपराध:**

- मूल अधिनियम ने एनआईए को भारत में अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

- संशोधित अधिनियम ने एजेंसी को अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के तहत भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया।

**कानून का दायरा बढ़ाना:**

**संशोधन ने एनआईए को संबंधित मामलों की जांच करने की अनुमति दी है:**

- मानव तस्करी
- जाली मुद्रा या बैंक नोट
- निषिद्ध हथियारों का निर्माण या बिक्री
- साइबर आतंकवाद
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध।

स्वदीप कुमार

# ओडिशा की काई चटनी को भौगोलिक संकेत

- वैज्ञानिक काई चटनी ओडिशा में भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत की गई है।
- जीआई टैग मानक काई की चटनी के व्यापक उपयोग के लिए एक संरचित स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। जीआई लेबल स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है।
- ओडिशा को वर्ष 2019 में ओडिशा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला।

## वीवर चींटियाँ:

- काई (रेड वीवर चींटी) चींटियां, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है, मयूरभंज में साल भर बहुतायत में पाई जाती हैं। वे मेजबान पेड़ों की पत्तियों से घोंसले का निर्माण करते हैं।
- घोंसले हवा का सामना करने के लिए काफी मजबूत होते हैं और पानी के लिए अभेद्य होते हैं।
- काई के घोंसले आमतौर पर आकार में अंडाकार होते हैं और एक छोटे मुड़े हुए पत्ते से लेकर एक बड़े घोंसले तक होते हैं जिसमें कई पत्ते होते हैं जिनकी लंबाई आधा मीटर से अधिक होती है।
- इसके परिवार में सदस्यों की तीन श्रेणियां हैं – श्रमिक, मुख्य कार्यकर्ता और रानियां।
- कामगार और प्रमुख कार्यकर्ता अधिकतर नारंगी रंग के होते हैं।
- वे छोटे कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों को खाते हैं, उनके शिकार मुख्य रूप से भृंग, मक्खियाँ और हाइमनोप्टेरान होते हैं।
- कैस एक जैव नियंत्रण एजेंट है। वे आक्रामक हैं और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश आर्थ्रोपोड्स का शिकार करते हैं।
- उनकी शिकारी आदत के कारण, सीएएस को उष्णकटिबंधीय फसलों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि वे विभिन्न फसलों को कई अलग-अलग कीटों से बचाने में सक्षम हैं। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

## काई चटनी:

- काई चटनी बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है और ज्यादातर ओडिशा के मयूरभंज जिले में आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है।
- यदि आवश्यक हो, तो पत्तियों और मलबे को छांटने और अलग करने से पहले चींटियों के पत्तेदार घोंसलों को उनके मेजबान पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और पानी की एक बाल्टी में एकत्र किया जाता है।

## महत्त्व:

- यह फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी से छुटकारा पाने में मदद करता है, भूख बढ़ाता है और प्राकृतिक रूप से आंखों की रोशनी में सुधार करता है।
- जनजातीय चिकित्सक औषधीय तेल भी तैयार करते हैं, जिसका उपयोग बेबी ऑयल के रूप में किया जाता है और गठिया, दाद और अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए बाहरी रूप से उपयोग किया जाता है।

- जनजातियों के लिए यह एकमात्र रामबाण औषधि है।

## भौगोलिक संकेत स्थान:

- जीआई एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- 'भौगोलिक संकेत माल' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के बेहतर संरक्षण और पंजीकरण प्रदान करने का प्रयास करता है।
- अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है जो भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार हैं।
- भौगोलिक संकेत पंजीकरण कार्यालय चेन्नई में स्थित है।
- भौगोलिक संकेतकों का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। इसे समय-समय पर 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
- हाल के उदाहरण: जुडिमा वाइन राइस (असम), तिरूर वेटिला (केरल), डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी (तमिलनाडु), ओडिशा आदि।

## भौगोलिक संकेत का महत्व:

- एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिए जाने के बाद, कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए अपने नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।

- किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेत अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।

स्वदीप कुमार

# संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022

दुनिया के महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और निर्वाह के उद्देश्य से वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु **संयुक्त राष्ट्र (UN) महासागर सम्मेलन 2022** आयोजित किया गया था।

- **केन्या और पुर्तगाल की सरकारों ने इस सम्मेलन की सह-मेज़बानी** की थी।
- संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** ने किया। भारत ने साझेदारी और पर्यावरण के अनुकूलन के माध्यम से **लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिये विज्ञान एवं नवाचार आधारित समाधान प्रदान करने का वादा किया।**
- **यह सतत् विकास लक्ष्य** (SDG) 14, **'जल के नीचे जीवन'** से सम्बंधित है तथा समुद्र के लचीलेपन के निर्माण हेतु वैज्ञानिक ज्ञान और समुद्री प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

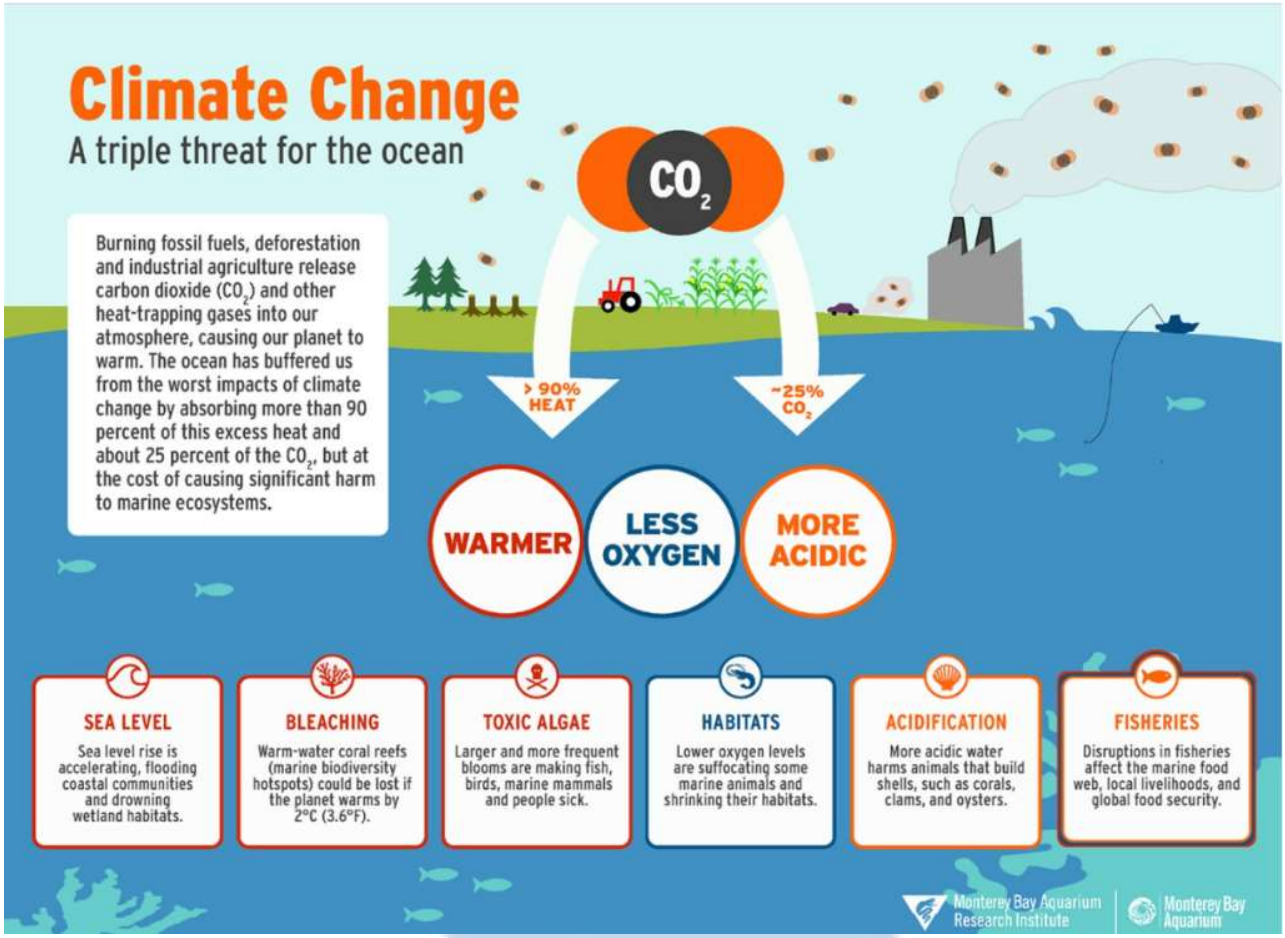


**SDG GOAL 14 के तहत कार्य :-**

- **गहरे समुद्र में खनन पर रोक:**
  - गहरे समुद्र में आवश्यक बूम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण के लिये दुर्लभ धातुओं के खनन पर रोक।
  - समुद्र तल की मशीनों द्वारा से खुदाई और मापन द्वारा गहरे-समुद्री आवासों में बदलाव या नष्ट कर सकता है।
- **कार्बन पृथक्कीकरण:**
  - **कार्बन पृथक्करण** (**Carbon Sequestration**) द्वारा मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक सिंक को बढ़ाकर या भू-इंजीनियरिंग योजनाओं के माध्यम से CO2 को सोखने के लिये समुद्र की क्षमता को बढ़ावा देना।
- **क्या है ब्लू डील:**
  - आर्थिक विकास के लिये **समुद्री** संसाधनों के सतत् उपयोग को **सक्षम** करने हेतु "ब्लू डील" (Blue Deal) को बढ़ावा दिया गया।

- इसमें एक सतत् और लचीली समुद्री अर्थव्यवस्था बनाने हेतु वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार शामिल हैं।
- सभी स्रोतों से समुद्री फसल को टिकाऊ बनाने और सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये समुद्री खाद्यों पर ध्यान देना।

- **समुद्रीय जीवन में अनियमितता:**
  - पृथ्वी की सतह के लगभग **70% भाग को महासागर कवर करते हैं और अरबों लोगों को आजीविका एवं भोजन प्रदान करते हैं।** समुद्र में सर्वाधिक प्रजातियाँ वास करती हैं किन्तु कोई व्यापक कानूनी ढांँचा उच्च समुद्रों को कवर नहीं करता है।
  - विश्व के कुछ बुद्धिजीवी उन्हें ग्रह पर सबसे बड़े अनियमित क्षेत्र के रूप में संदर्भित करते हैं।
- **खतरे में महासागर:**
  - **ग्लोबल वार्मिंग**, **प्रदूषण (प्लास्टिक प्रदूषण सहित)**, **अम्लीकरण, समुद्री हीटवेव** आदि महासागरों हेतु खतरों में शामिल हैं।

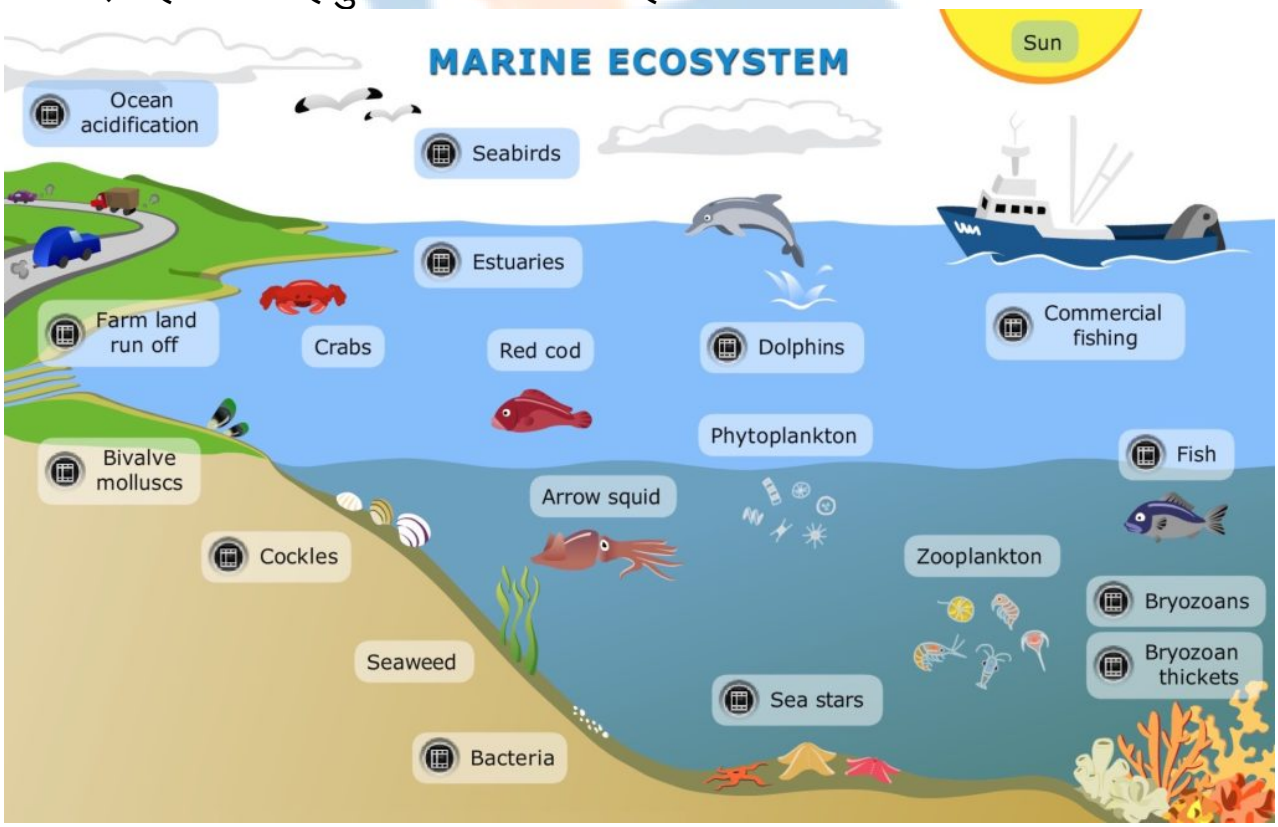

**इस समस्या से निपटने के उपाय:**

- **कोविड-19** के बाद की विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को महासागर आधारित मूल्य शृंखलाओं में स्थिरता लाने और लचीलेपन को प्राथमिकता देते हुए कार्य करना चाहिए। समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री और तटीय पर्यटन तथा समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों को कोविड -19 महामारी ने असमान रूप से प्रभावित किया।
- विकासशील देशों में निवेश बढ़ने और लागत कम करने हेतु एक ब्लू बैंक स्थापित करने और ब्लू फाइनेंस के नियमों में सुधार के लिये डिजिटलीकरण प्रयासों कर इन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का प्रयास करना।
- ग्रीन न्यू डील पहले से ही दुनिया भर में राजनीतिक समर्थन और आकर्षण प्राप्त कर रही है, जबकि इन सभी सुझावों को ब्लू न्यू डील के लिये आह्वान के रूप में देखा जा सकता है।

**महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु पहलें:**

- **महासागर विज्ञान दशक:**
  - समुद्र के संतुलन में गिरावट के चक्र को उलटने और एक सामान्य ढांँचे में दुनिया भर में महासागर हितधारकों को शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के रूप में **सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक** की घोषणा की है।
- **विश्व महासागर दिवस:**
  - 8 जून को पूरी दुनिया में **विश्व महासागर दिवस** (World Ocean Day) के रूप में मनाया गया। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के लिये मनाया जाता है।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र:**
  - समुद्री क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करने वाले क्षेत्र को सामान्य शब्दों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA),कहा जाता है।
- **ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** तथा **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ( FAO)** द्वारा लॉन्च किया गया है,
  - प्रारंभिक वित्तपोषण नॉर्वे सरकार द्वारा किया गया।
  - **उद्देश्य:** शिपिंग व मत्स्य पालन उद्योग से उत्पन्न होने वाले समुद्री प्लास्टिक कचरे को कम करना है।
- **भारत–नॉर्वे महासागर वार्ता:**

- भारत और नॉर्वे की सरकारों द्वारा महासागरीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के लिये जनवरी 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- **भारत का डीप ओशन मिशन:**
  - भारत सरकार की '**ब्लू इकॉनमी**' पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड परियोजना है।
- **भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन पहल (IPOI):**
  - इस क्षेत्र में आम चुनौतियों के लिये सहकारी और सहयोगी समाधान हेतु मिलकर काम करने हेतु यह देशों के लिये एक खुली, गैर-संधि आधारित पहल है।

रवि सिंह